

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
डी.बी. सिविल रिट याचिकासंख्या 13070/2021

मदन सिंह राठौड़ पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड़, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी तृतीय/74, ए.जी. कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर, पी.ए.जी. (सिविल ऑडिट) राजस्थान जयपुर कार्यालय से वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002
- प्रधान महालेखाकार (जी एवं एस लेखा परीक्षा), राजस्थान महालेखाकार कार्यालय जनपथ, स्टेशन सर्किल के पास, जयपुर

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री विनोद गोयल

उत्तरदाता (ओं) के लिए : सुश्री निधि खंडेलवाल के साथ सुश्री ममता
विजय

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

अवनीश झिंगन, जे. (मौखिक)

19/02/2024

- यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच, जयपुर (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित 18 अगस्त, 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें मूल आवेदन (संक्षेप में "ओए") को खारिज कर दिया गया था।
- मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता, महालेखाकार (जी.एवं.एस. लेखापरीक्षा) राजस्थान के कार्यालय में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत थे और 25 जुलाई, 1986 को वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। याचिकाकर्ता 31 जनवरी, 2011 से सेवानिवृत्त हुए।
- याचिकाकर्ता ने अपने कनिष्ठ श्री काशीराम जाट को अधिक वेतन दिए जाने से व्यथित होकर

न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए. संख्या 164/2010 दायर किया।

4. न्यायाधिकरण ने 2 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा मामले को वापस भेज दिया था, जिसमें वेतन वृद्धि के मामले की पुनः जाँच करने के निर्देश दिए गए थे। 2 जुलाई, 2012 के आदेश का कार्यान्वयनात्मक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत है:

"इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को देखते हुए, हमारा विचार है कि उत्तरदाता को आवेदक के वेतन में वृद्धि के मामले की पुनः जांच करनी चाहिए और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए।"

5. 17 अक्टूबर, 2012 को याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने ओए संख्या 830/2012 दायर की थी। आवेदन 18 अगस्त, 2021 को खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका।

6. न्यायाधिकरण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने रिस-ज्युडिकेटा लागू करके उठाए गए मुद्दों पर विचार किए बिना ओ.ए. को खारिज करने में गलती की।

7. उत्तरदाता के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि कैरियर प्रगति योजना के प्रावधानों के अनुसार, उत्तरदाता वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है।

8. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसका कनिष्ठ कर्मचारी उससे अधिक वेतन ले रहा है, इसलिए उसका वेतन काटा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूर्व ओए का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया कि उत्तरदाता को उसमें उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए। दावे को खारिज करने पर, न्यायाधिकरण ने मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के बजाय, रिस-ज्युडिकेटा/रचनात्मक रिस-ज्युडिकेटा का आह्वान करके मामले को उठाने से रोक दिया।

9. इस स्तर पर, हमें न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पुनःन्यायिकता/रचनात्मक पुनःन्यायिकता के सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि पूर्व आदेश का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया था, फलस्वरूप, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। मामला न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार पुनः आदेश पर निर्णय ले सके।

10. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

प्रीति असोपा /59

क्या रिपोर्ट योग्य है :हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate